BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 11 जुलाई, 2025 **थाना अरनिया**

छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिना गया मोबाइल फोन, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असलहा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 09-07-2025 को वादी शिवम कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी मुनी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ने थाना खुर्जा नगर पर तहरीर दी कि 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-624/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 11-07-2025 को थाना अरनिया पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर बिजलीघर अण्डरपास से छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को छिने गये मोबाइल फोन, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 211/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. गौरव पुत्र हरीओम शर्मा निवासी एटा चुंगी सब्जी वाली पुलिया गली नं0 3 थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़।
2. अतुल पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दरकपुर बरनी थाना पिलुआ जनपद एटा।
   हाल पता धनीपुर मण्डी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
2. 01 मोटरसाइकिल अपाचे (UP81-AK-6007) (घटना मे प्रयुक्त)
3. 01 मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)

अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 625/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 211/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त अतुल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 625/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 211/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजकुमार सिंह थानाध्यक्ष अरनिया
2. उ0नि0 सुनील कुमार
3. का0 मोहित कुमार, का0 ललित कुमार, का0 विष्णु कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर